न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/12/2022	22–06–2022	05–04–2023

1. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) जर्ये शाकर हुसैन, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड रामगढ जिला अलवर (राजस्थान) एवं प्रभारी अधिकारी मुकदमा

–अपीलाण्ट

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
2. नारंगी पुत्र बाज खॉ जाति मेव निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर जिला अलवर (राजस्थान)
3. रज्जू पुत्र ईशान जाति मेव निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर जिला अलवर (राजस्थान)
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर जिला अलवर (राजस्थान)
5. विजय सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर जिला अलवर (राजस्थान)
6. नवल सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर जिला अलवर (राजस्थान)
7. सूका पुत्र बोंदन जाति मेव निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ जिला अलवर जिला अलवर (राजस्थान)
8. तहसीलदार रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)
9. भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पौडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्ध दिनाक 25.04.2022 तहसीलदार रामगढ प्रकरण संख्या 01/2020 जिसके द्वारा वर्णित आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु पारित किया गया है, को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

01–श्री दीपेश अवस्थी	– वकील अपीलाण्ट
02–श्री दिनेश कुमार यादव	– वकील रेस्पो0 सं0 1–4
03–श्री एम. एल. मीणा	– वकील रेस्पो0 सं0 5 व 7
04–श्री दीपक मीना	– राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 25.04.2022 प्रकरण संख्या 01/2020 जिसके द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु पारित किया से व्यथित होकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि न्यायालय हाजा के समक्ष रेस्पोडेन्टस द्वारा अपील संख्या 11/14/2018 पेश की गयी जिसमें निर्णय दिनाक 12.03.2020 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गयी है, कि प्रकरण में पारित अवार्ड की जॉच कर नामान्तकरण संख्या 236 दिनाक 03.06.1986 में दर्ज खसरा नम्बरान में सडक, रास्ते की भूमि अवाप्त की गयी है, या नही की हद तक जॉच कर पुनः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्वांत एवं न्यायोचित प्रकियानुसार निर्णय पारित करे। जिसकी पालना में तहत अदालत तहसीलदार रामगढ ने निर्णय दिनाक 25.04.2022 पारित कर नामान्तकरण संख्या 236 दिनाक 03.06.1986 ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ में वर्णित आराजीयात 1–नरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी बलवण्डका के साबिक आराजी खसरा न0 71 के हाल आराजी खसरा न0 89 रकबा 0.25 है0, साबिक आराजी खसरा न0 72 के हाल आराजी खसरा न0 88 रकबा 0.23 है0 में से 0.17 है0 तथा साबिक आराजी खसरा न0 316 के हाल आराजी खसरा न0 467 रकबा 0.12 है0, 468 रकबा 0.12 है0, 469 रकबा 0.15 है0, साबिक आराजी खसरा न0 118 के हाल आराजी खसरा न0 172 रकबा 0.21 है0, 161 रकबा 0.08 है0, साबिक आराजी खसरा न0 170 के हाल आराजी खसरा न0 462 रकबा 0.02 है0 व साबिक आराजी खसरा न0 62 के हाल खसरा न0 90 रकबा 0.07 है0, 91 रकबा 0.03 है0, 170 रकबा 0.23 है0, 2–नारंगी पुत्र बाजू खॉ जाति मेंव निवासी बलवण्डका के साबिक आराजी खसरा न0 166 हाल आराजी खसरा न0 454 रकबा 0.38 है0, 3–रज्जू पुत्र ईशान जाति मेंव निवासी बलवण्डका के साबिक आराजी खसरा न0 130 जिसके हाल आराजी खसरा न0 453 रकबा 0.17 है0, 4–सुरेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी बलवण्डका के साबिक आराजी खसरा न0 112 हाल आराजी खसरा न0 167 रकबा 0.15 है0, साबिक आराजी खसरा न0 128 हाल आराजी खसरा न0 233 रकबा 0.12 है0, 5–विजयसिंह के साबिक आराजी खसरा न0 115 हाल आराजी खसरा न0 162 रकबा 0.15 है0, साबिक आराजी खसरा न0 337 हाल आराजी खसरा न0 496 रकबा 0.22 है0, 6–नवल सिह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी बलवण्डका के साबिक आराजी खसरा न0 114 हाल खसरा न0 163 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नही किया गया की रेस्पोडेन्टस की आराजीयात अवाप्त के बदले उनको मुआवजा राशि की अदायगी की जा चुकी है, जिसके बाबत अवार्ड दिनाक 14.08.1985 को न्यायालय उमेंश चन्द्र तोमर आर.टी.एस. भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत भरतपुर कैम्प बंगला अलवर द्वारा पारित किया गया था, जिसका नामान्तकरण नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्टस को उनकी अवाप्त की गयी भूमि की अवाप्ति से पूर्व उनको पूर्ण सुनवाई का व अपने दस्तावेजात आदि पेश करने का पूर्ण अवसर दिया गया था तथा विधिक प्रकियानुसार ही रेस्पोडेन्टस की आराजीयात को अवाप्त करते हुये उनको मुआवजा राशि दी गयी थी। उसके पश्चात ही नामान्तकरण संख्या 236 दिनाक 03.06.1986 ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। अवाप्त की गयी आराजीयात पर मौके पर सडक का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। जिस तथ्य पर तहत अदालत द्वारा कोई गौर नही किया गया है। रेस्पोडेन्टस की जितनी आराजी को अवाप्त किया गया था, उतनी आराजी का मुआवजा दे दिया गया था। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.04.2022 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 07.06.2022 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई, जिस पर

अपीलान्ट द्वारा दिनाक 08.06.2022 को तहत अदालत के समक्ष नकल हेतु प्रार्थना पेश किया गया नकल तैयार होकर दिनाक 08.06.2022 को प्राप्त हुई जिस पर कानूनी सलाह प्राप्त कर बिना देरी किये यह अपील न्यायालय हाजा में दिनाक 17.06.2022 को पेश की गयी है। दिनाक 25.04.2022 से दिनाक 07.06.2022 तक की हुई देरी लाईल्मी व दिनाक 08.06.2022 से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी विभाग से मंजूरी प्राप्त करने में व्यतीत होने से उपरोक्त अवधि की देरी को कण्डोन फरमाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे एवं तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.04.2022 को निरस्त किया जावे।

विद्वान रेस्पोडेन्ट अभिभाषक की बहस सुनी गयी विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि रेस्पोडेन्ट व अन्य ग्रामवासियान की खातेदारी की आराजी पूर्व में ग्राम साहडोली सडक के लिए नामान्तकरण संख्या 120 दिनाक 01.01.1979 से दर्ज व स्वीकार की गयी। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दे दिया गया किन्तु नामान्तकरण संख्या 236 दिनाक 03.06.1986 बिना किसी निरीक्षण के पुनः दर्ज कर दिया गया तथा पुनः दिनाक 22.11.2017 को उक्त नामान्तकरण संख्या 236 दिनाक 03.06.1986 को यथावत रखा गया है। नामान्तकरण संख्या 236 दिनाक 03.06.1986 से संबंधित भूमि अवाप्ति का न तो कोई नोटिस दिया गया न ही अपीलान्ट को कोई मुआवजा दिया गया। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर दिनाक 25.04.2022 को विधिवत निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2022 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 17.06.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 1माह 15 दिवस पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 07.06.2022 को होना अंकित किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि तहत अदालत तहसीलदार रामगढ के द्वारा निर्णय दिनाक 25.04.2022 पारित कर नामान्तकरण संख्या 236 दिनाक 03.06.1986 ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ में वर्णित आराजीयात का नामान्तकरण प्रकरण में वर्णित काश्कारान के नाम नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु पारित किया गया है। रेस्पोडेन्टस की जितनी आराजी को अवाप्त किया गया था, उतनी आराजी का मुआवजा दे दिया गया था। वकील अपीलान्ट द्वारा केवल मौखिक कथन किया है, कि ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ की भूमि अवाप्त की गयी थी का रेस्पोडेन्टस को अवाप्ती के बदले उनको मुआवजा राशि की अदायगी की जा चुकी है, जिसके संबंध में कोई रिकार्ड पेश नही किया गया है। जिससे कथन की पुष्टि हो सके। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो तथा प्रस्तुत रिकार्ड से नामान्तकरण संख्या 120 व 236 में दर्ज खसरा नम्बरान तथा मुआवजा दिये गये खसरा नम्बरान का अवलोकन करने पर पाया गया कि दौहरे नामान्तकरण के द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि दो बार अधिग्रहित की गयी है, जबकि मुआवजा एक बार दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा सडक मार्ग से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जबकि मुताबिक तहसीलदार रामगढ के उक्त भूमि पर वर्तमान में आबादी बसी हुई है, तथा भूमि कुर्षि कार्य में ली जा रही है।

तहसीलदार रामगढ द्वारा पारित निर्णय 25.04.2022 विधिसम्मत है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार रामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.04.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)